न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 65 / 2023

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. भलाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. मेहरसिंह पुत्र सवसिंह
2. पूनमसिंह पुत्र सवसिंह
3. तुलछसिंह पुत्र सवसिंह जातियान वजीर निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी
4. सायरकंवर पत्नी मेहरसिंह जाति राजपूत निवासी नाकोड़ा
5. गौतमचन्द पुत्र वनेचन्द
6. बाबूलाल पुत्र सिरेमल
7. लक्ष्मीचन्द पुत्र उदयराज
8. भूरचन्द पुत्र राणमल जातियान ओसवाल निवासी नाकोड़ा
9. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी
10. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी जिला बालोतरा
11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल सारण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 11 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 28.05.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 30 / 3 रकबा 7.1839 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49 / 1 रकबा 1.3915 हैक्टेयर कुल रकबा 8.5754 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा संख्या 30 रकबा 3.2360 हैक्टेयर खसरा संख्या 30/2 रकबा 0.9708 हैक्टेयर खसरा संख्या 49 रकबा 4.5304 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7372 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 30 व 49 से विभाजन से नवसृजित खसरा संख्या 30/3 व 49/1 की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 से 10 बावजूद सम्मन तामिल होने एवं सुनवाई हेतु उपस्थिति बाबत् पर्यापत अवसर दिए जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। विप्रार्थीगण सं. 11 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. प्रार्थी वकील ने अपनी बहस के तथ्यों में उल्लेखित किया कि प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 30/3 रकबा 7.1839 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49/1 रकबा 1.3915 हैक्टेयर कुल रकबा 8.5754 हैक्टेयर एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा संख्या 30 रकबा 3.2360 हैक्टेयर खसरा संख्या 30/2 रकबा 0.9708 हैक्टेयर खसरा संख्या 49 रकबा 4.5304 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7372 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 30 व 49 से विभाजन से नवसृजित खसरा संख्या 30/3 व 49/1 की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने भी अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थी के खातेदारी का खसरा संख्या 30/3 रकबा 7.1839 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49/1 रकबा 1.3915 हैक्टेयर कुल रकबा 8.5754 हैक्टेयर एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा संख्या 30 रकबा 3.2360 हैक्टेयर खसरा संख्या 30/2 रकबा 0.9708 हैक्टेयर खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

संख्या 49 रकबा 4.5304 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7372 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 30 व 49 से विभाजन से नवसृजित खसरा संख्या 30/3 व 49/1 की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थी के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट कमांक 258 दिनांक 24.01.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 30/3 रकबा 7.1839 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49/1 रकबा 1.3915 हैक्टेयर कुल रकबा 8.5754 हैक्टेयर एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा संख्या 30 रकबा 3.2360 हैक्टेयर खसरा संख्या 30/2 रकबा 0.9708 हैक्टेयर खसरा संख्या 49 रकबा 4.5304 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7372 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट कमांक 258 दिनांक 24.01.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी